

न्यायालय : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय (पश्चिमी), मुजफ्फरपुर

परिवाद वाद संख्या-98/2010

विचारण संख्या-1213/2020

रेणु कुमारी, उम्र लगभग 18 वर्ष पिता स्व० लगन राम, निवासी ग्राम गोआ
भगवानपुर, थाना कुढ़नी, जिला मुजफ्फरपुर.....परिवादी

बनाम

1. दिलीप कुमार पे० मदन बैठा, उम्र 46 वर्ष
 2. कमलेश कुमार पे० शत्रुघ्न राम, उम्र 35 वर्ष.....अभियुक्तगण
- सभी साकिन गोआ भगवानपुर, थाना कुढ़नी, जिला मुजफ्फरपुर

अभियोग का सारांश धारा-341,323 एवं 354 भा०द०वि०

जिला-मुजफ्फरपुर

परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता : श्री संजीव कुमार

प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता : श्री नंदकिशोर यादव

निर्णय की तिथि : 28.04.2022

उपस्थित : श्री विकास मिश्रा
अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय
(पश्चिमी), मुजफ्फरपुर।

नि र्ण य

01. उपरोक्त नामित अभियुक्तगण को भा०द०वि० की धारा-341,323 एवं 354 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोपों में आरोपित हैं। दिनांक 19.11.2018 को अभियुक्तगण को उक्त धारा अंतर्गत अभियोग का सारांश हिन्दी में पढ़कर सुनाया और समझाया गया। अभियुक्तगण दोषी होने का अभिवाक् नहीं किए तथा वाद विचारण का दावा किए।

02. परिवादिनी द्वारा दाखिल नालिसी संक्षेप में यह है कि परिवादिनी रेणु कुमारी द्वारा परिवाद पत्र संख्या-98/2010 दाखिल किया गया जिसमें उनका कथन है कि परिवादिनी के द्वारा अभियुक्तगण दिलीप कुमार एवं कमलेश



कुमार के विरुद्ध मुकदमा किया गया है जिसमें अभियुक्तगण धमकी दे रहे थे और दिनांक 20.01.2010 को सरस्वती पूजा के दिन लगभग 11 बजे रात्रि घर के पीछे मौसी के साथ पेशाब करने गयी थी, तभी अभियुक्त दिलीप कुमार मुंह दाबकर पुआल पर पटक दिए और सलवार की डोरी खोल दिए तथा कमलेश कुमार मौसी का मुंह दबा करके चाकू सटा दिए और सलवार खोलकर बलात्कार करने का प्रयास किए किंतु हल्ला सुनने पर गांव वाले आए तो उसकी जान बची। जिसमें अभियुक्त संख्या-1 सी.आर.पी.एफ. का जवान है तथा अभियुक्त संख्या-2 गांव का दबंग बदमाश है।

03. परिवादी का सशपथ पत्र बयान एवं गवाह की गवाही होने के पश्चात् न्यायालय द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 01.02.2012 को अंतर्गत धारा-341,323,354 के अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए सम्मन आदेश पारित किया गया एवं अभियुक्तों की उपस्थिति के पश्चात् दिनांक 19.11.2018 को अभियोग का सारांश सुनाया गया जिससे अभियुक्तों द्वारा इनकार किया गया एवं विचारण की मांग की।

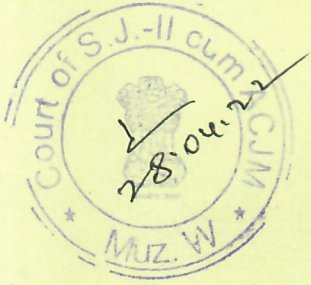
04. दिनांक 26.04.2022 को अंतर्गत धारा-313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान सुनाया गया जिससे अभियुक्तों के द्वारा इनकार किया गया।

05. अब न्यायालय को इस प्रश्न का निर्णय करना है कि क्या परिवादिनी अभियुक्तगण द्वारा किए गए मारपीट, गाली-गलौज एवं सीलभंग का आरोप युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध करने में सफल रहा है या नहीं ?

मं त ळ य

06. प्रस्तुत परिवाद पत्र में परिवादिनी के द्वारा अपने साथ हुई घटना को साबित करने के लिए एक भी गवाह न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया।

07. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रस्तुत वाद में परिवादिनी वर्ष 2014 से ही अनुपस्थित चल रही है और एक भी गवाह घटना के समर्थन में प्रस्तुत नहीं किया गया है और केवल पेशान करने के लिए यह वाद



दाखिल किया गया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तों को निर्दोष मानते हुए रिहा किया जाए।

08. अभिलेख का अवलोकन किया तथा बहस को सुना, जिससे स्पष्ट है कि उक्त वाद साक्ष्यविहीनता का है और परिवादिनी लगातार कई वर्षों से अनुपस्थित चली आ रही है और अपने साथ हुई घटना के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त घटना परिवादिनी द्वारा साक्षियों के माध्यम से युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रही है। अतः

आ दै श

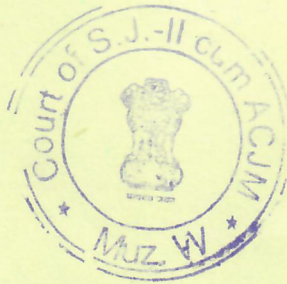
उपरोक्त नामित अभियुक्त दिलीप कुमार वो कमलेश कुमार को आरोपित आरोपों के अंतर्गत साक्ष्य के अभाव में धारा-341,323 एवं 354 भा0द0वि0 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है तथा इनके जमानतदारों को जमानत बंध-पत्र के दायित्वों से भी उन्मोचित किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लेखापित एवं शुद्धित

विष्णु मेहता

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,
द्वितीय (पश्चिमी), मुजफ्फरपुर
दिनांक 28.04.2022



विष्णु मेहता

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी
द्वितीय (पश्चिमी), मुजफ्फरपुर
दिनांक 28.04.2022